CHHATTISGARH

CHHATTISGARH ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD

Paryavas Bhawan, Sector - 19, Naya Raipur Atal Nagar, Raipur(C.G.) 492002

Email add - hocecb@gmail.com

No. 3150 /TS/HO/CECB/2022 Nava Raipur Atal Nagar, dated:29/7 /2022

To,

The Registrar General,
National Green Tribunal,
Faridkot House,
Copernicus Marg,
New Delhi-110001

Sub : - Compliance of the direction issued by Hon'ble NGT in OA No. 328/2022 Shri Sanjeev Agrawal Vs Department of Forest, Chhattisgarh and Others.

Ref : - Hon'ble NGT order dated 09/05/2022.

----000----

In compliance of above referred direction, please find enclosed herewith the report as Annexure1 of the Inter-Departmental Committee for perusal and necessary action please. One member of the committee Shri Rajendra Gupta, Additional Collector, District- Balodabazaar-Bhatapara has submitted his dissenting opinion vide letter dated 22/07/2022 is also attached herewith as Annexure 2.

Encl. :- As above.

Member Secretary
Chhattisgarh Environment Conservation Board,
Nava Raipur Atal Nagar, Raipur (C.G.)

ओरिजिनल एप्लिकेशन क्रमांक 328/2022 में माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रीसिंपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 09/05/2022 पारित आदेश के तहत् गठित अंर्तविभागीय संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रीसिंपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा ओरिजिनल एप्लिकेशन क्रमांक 328/2022, श्री संजीव अग्रवाल विरूद्ध वन विभाग, छत्तीसगढ़ एवं अन्य के प्रकरण में जारी आदेश दिनांक 09/05/2022 के माध्यम से संयुक्त समिति गठन कर चार सप्ताह में इसकी बैठक करने एवं स्थल निरीक्षण करने, शिकायतकर्ता द्वारा उठाये गये बिन्दुओं का संज्ञान लेने, पूर्व में प्रस्तुत दोनो रिपोर्ट का अध्ययन कर पर्यावरणीय क्षति के परिपेक्ष्य में आवश्यक अनुशंसा/कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे। इसके अनुपालन में समिति की बैठक दिनांक 07/06/2022 को की गई। जिसके अनुसार संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 20/06/2022 को स्थल निरीक्षण करने का निर्णय लिया गया। तदानुसार नियत तिथि पर अंतर विभागीय संयुक्त समिति द्वारा क्षेत्र का भ्रमण किया गया। क्षेत्र भ्रमण के दौरान शिकायत में उल्लेखित क्षेत्र पर निम्नांकित परिस्थितियॉ अंकित की गई है। विवरण निम्नानुसार हैः–

1. प्रांरभ में छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 5–55/2016/10–2 दिनांक 29/04/2020 द्वारा अपर प्रधान, मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित समिति के रिपोर्ट अनुसार बारनवापारा अभ्यारण्य के विस्तारण के प्रस्ताव पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है एवं कक्ष क्रमांक 254 रकबा 144.6 हेक्टेयर अभ्यारण्य के विस्तार हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में शामिल होने से तथा वृक्षों के घनत्व अच्छा होने, प्रस्तावित बोरहोल्स तक पहुंचने के लिए वृक्षों के कटाई/सफाई किये बिना रास्ता उपलब्ध न होने के कारण अनुमति नहीं दिये जाने की अनुशंसा की गई थी। साथ ही कक्ष क्रमांक 254 में उत्खनन की स्थिति में वन जैव विविधता एवं वन्यप्राणी संरक्षण पर विपरीत प्रभाव पड़ने की आशंका व्यक्त की गई थी।
2. तत्पश्चात् छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 5–55/2016/10–2 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 03/12/2020 द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख की अध्यक्षता में गठित समिति के रिपोर्ट के अनुसार दस्तावेंजो के परीक्षण से यह ज्ञात हुआ है कि बारनवापारा अभ्यारण्य के विस्तारण हेतु क्षेत्र का निर्णय अंतिम रूप से नहीं लिया गया है। अतः वर्तमान में कक्ष क्रमांक 254 में पूर्वेक्षण की अनुशंसा की जाती है। इसी प्रकार समिति द्वारा प्रस्ताव सिर्फ पूर्वेक्षण का होने के कारण पेड़ कटाई एवं क्षेत्र में कोई अन्य क्षति न होने की शर्त एवं ड्रिलिंग हेतु फोलडेबल मशीन सरबोझ से ड्रिलिंग पाईंट तक वन अधिकारियों के देखरेख में बिना पेड़ों के क्षति पहुंचाये जाने की शर्त के साथ पूर्वेक्षण की अनुशंसा की गई।
3. माननीय एनजीटी द्वारा गठित अंर्तविभागीय संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 20/06/2022 को प्रोस्पेटिंग हेतु चयनित वन क्षेत्र के कक्ष क्रमांक 254 का निरीक्षण पैदल भ्रमण कर किया गया। क्षेत्र के निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित थे :–

   1. श्री राकेश चतुर्वेदी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एचओडी), वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, अरण्य भवन, नार्थ ब्लाक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

2. श्री सुनील मिश्रा, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, अरण्य भवन, नार्थ ब्लाक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)
3. डॉ. भारद्वाज आदिराजू, साईंटिस्ट–''सी''इन्टीग्रेटेड रीजनल आफिस, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, अरण्य भवन, नार्थ ब्लाक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर
4. श्री कैलाश डोंगरे, संयुक्त संचालक (भौमिकी), संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म, इन्द्रावती भवन, ब्लॉक–डी, द्वितीय तल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)
5. श्री राजेन्द्र गुप्ता, अपर कलेक्टर, जिलाध्यक्ष कार्यालय, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.)
6. श्री जॉन लकड़ा, अतिरिक्त मुख्य अभियंता, मुख्यालय छत्तीगसढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर
7. श्री मनीष कश्यप, क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीगसढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर
8. श्री एनआर बढ़ई, वन मंडलाधिकारी, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा
9. श्री बिनोद सिंह ठाकुर, अनुविभागीय अधिकारी (फारेस्ट), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा

निरीक्षण के दौरान शिकायतकर्ता श्री संजीव अग्रवाल तथा उनके प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। मौके जांच स्थल पर समिति के सदस्यों द्वारा शिकायतकर्ता से चर्चा की गई। उनके द्वारा माननीय एनजीटी में प्रस्तुत लिखित शिकायत के बिन्दु अनुसार ही आपत्ति व्यक्त की गई। जिसमें मुख्य रूप से वन कक्ष क्रमांक 254 के अंतर्गत वह 144 हेक्टेयर वन क्षेत्र भी शामिल है, जिसमें घने जंगल का बांस और अन्य औषधि पेड़ पौधे होने का लेख किया गया हैं। इसमें पूर्वेक्षण किये जाने की अनुमति दी जाती है तो बिना जंगल को नष्ट किये या उससे छेड़छाड़ किये पूर्वेक्षण संभव नहीं है। वन और अन्य प्राणियों के हित को ध्यान में रखते हुए पूर्वेक्षण की अनुमति नहीं दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

निरीक्षण के दौरान समिति के सदस्यों द्वारा शिकायतकर्ता एवं उनके प्रतिनिधि के साथ पैदल चल कर वन कक्ष क्रमांक 254 के प्रस्तावित बोरहोल्स के लोकेशन का अवलोकन किया गया। वन कक्ष क्रमांक 254 के पहुंच के लिये वन विभाग द्वारा कूप कटाई हेतु बनाये गये Extraction Path पर पैदल चला गया। यह मार्ग कच्चा है एवं लगभग 3 से 4 मीटर चौड़ा है तथा वन विभाग के द्वारा ट्रक के माध्यम से कटाई एवं छटाई की गई वृक्षो (wood logs) का परिवहन किये जाने हेतु उक्त मार्ग का उपयोग किया जाता है। निरीक्षण के दौरान प्रस्तावित पूर्वेक्षण क्षेत्र में वन कक्ष क्रमांक 254 के अंतर्गत प्रस्तावित कुछ बोरहोल्स पाईंट्स का अवलोकन किया गया। विवरण निम्नानुसार है :–

क.	प्रस्तावित बोरहोल्स	Longitude	Latitude	रास्ता से दूरी
1.	पीबीएच पाईंट नं. 06 (आरएफ) (303)	N 21^{0}26'56.0''	E 82^{0}34'49.4''	कच्चा मार्ग के किनारे
2.	पीबीएच पाईंट नं. 10 (आरएफ)	N 21^{0}26'51.3''	E 82^{0}34'48.0''	कच्चा मार्ग के किनारे
3.	पीबीएच पाईंट नं. 11 (आरएफ)	N 21^{0}26'52.5''	E 82^{0}34'50.6''	कच्चा मार्ग से लगभग 50 मीटर अंदर
4.	पीबीएच पाईंट नं. 12 (आरएफ)	N 21^{0}26'49.3''	E 82^{0}34'46.8''	कच्चा मार्ग के किनारे

5.	पीबीएच पाईंट नं. 19 (आरएफ)	N 21^{0}26'47.1''	E 82^{0}34'46.3''	कच्चा मार्ग से लगभग 30 मीटर अंदर
6	पाईंट नं. 19 (आरएफ)	N 21^{0}26'45.9''	E 82^{0}34'43.7''	कच्चा मार्ग से लगभग 50 मीटर अंदर

1. प्रस्तावित पूर्वेक्षण क्षेत्र में प्रस्तावित 51 बोरहोल्स में से कुल 25 बोरहोल्स वन कक्ष क्रमांक 254 के अंतर्गत सम्मिलित है, जिसमें से अधिकांश बोरहोल्स कच्चे वन कूप मार्ग के किनारे प्रस्तावित है।
2. वर्तमान में पूर्वेक्षण के अंतर्गत बोरहोल्स ड्रिलिंग का कार्य प्रारंभ होना नहीं पाया गया है, और न ही इस कार्य के लिए किसी प्रकार के पेड़ की कटाई की गई है तथा पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंची है।
3. इन्टीग्रेटेड रीजनल ऑफिस पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, अरण्य भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19 नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर द्वारा पत्र दिनांक 30/06/2021 के द्वारा गोल्ड ब्लॉक एरिया 414.415 हेक्टेयर वन क्षेत्र के अंतर्गत 3.23985 हेक्टेयर क्षेत्र में मेसर्स वेदांता लिमिटेड, उड़ीसा द्वारा पूर्वेक्षण कार्य हेतु व्यपवर्तन की सशर्त अनुमति प्रदान की गई है। जिसके अनुसार 4 इंच डायमीटर के साथ 51 बोरहोल्स ड्रिलिंग कर पूर्वेक्षण किया जाना है।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा वन कक्ष क्रमांक 254 में स्थित Extraction Path के समीपस्थ प्रस्तावित ड्रिलिंग पाईंट के अवलोकन के पश्चात् फोल्डेबल मशीन सरबोझ से ड्रिलिंग पाईंट तक वन अधिकारियों की देखरेख में बिना पेड़ो को क्षति पहुंचाये ले जाने तथा वन अधिकारियों की देखरेख में कोई भी पेड़ कटाई एवं क्षेत्र में अन्य कोई क्षति नहीं होने की शर्त पर पूर्वेक्षण कार्य की अनुशंसा की गई है।

माननीय एन.जी.टी. द्वारा गठित अंर्तविभागीय संयुक्त समिति का अभिमत :–

1. वर्तमान में पूर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है तथा पेड़ की कटाई अथवा पर्यावरण की क्षति होना नहीं पाया गया है।
2. प्रस्तावित पूर्वेक्षण (Prospecting) क्षेत्र बलौदाबाजार क्षेत्रीय वनमंडल में है तथा बारनवापारा अभ्यारण्य एवं इसके इको–सेन्सिटिव जोन दोनो की सीमा से बाहर है।
3. बारनवापारा अभ्यारण्य के विस्तार हेतु जिसमें कक्ष क्रमांक 254 रकबा 144.60 हेक्टेयर भी शामिल है, वर्तमान में राज्य शासन द्वारा अंतिम रूप से निर्णय नहीं लिया गया है।
4. वर्तमान में दिये गये अनुमति के अनुसार वन क्षेत्र के केवल 3.23985 हेक्टेयर में पूर्वेक्षण का कार्य जिसके अंतर्गत 4 इंच डायमीटर का ड्रिलिंग का कार्य किया जाना है। यह कार्य मिनरल एक्सप्लोरेशन से संबंधित प्रारंभिक चरण का कार्य होने के दृष्टिगत पूर्व से निर्मित Extraction Path का उपयोग करते हुए तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख की अध्यक्षता में गठित समिति के अनुशंसा अनुसार वन अधिकारियों की देखरेख में कोई भी पेड़ कटाई एवं क्षेत्र में अन्य कोई क्षति नहीं होने तथा फोल्डेबल मशीन सरबोझ से ड्रिलिंग

पाईंट तक वन अधिकारियों की देखरेख में बिना पेड़ो को क्षति पहुंचाये ड्रिलिंग का कार्य प्राप्त अनुमति के शर्तो का पालन सुनिश्चित करते हुये 51 बोरहोल्स में पूर्वेक्षण के अंतर्गत ड्रिलिंग का कार्य किया जा सकता है।

5. वन क्षेत्र में स्थल निरीक्षण के दौरान लिये गये फोटोग्राफ्स संलग्न है।

श्री राकेश चतुर्वेदी
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(एचओडी) वन एवं जलवायु
परिवर्तन विभाग,
नवा रायपुर अटल नगर,
रायपुर

डॉ. भारद्वाज अदिराजू
साईंटिस्ट–"सी", भारत शासन,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु
परिवर्तन मंत्रालय,
नवा रायपुर अटल नगर,
रायपुर

श्री कैलाश डोंगरे
संयुक्त संचालक (भौमिकी)
संचालनालय भौमिकी तथा
खनिकर्म, इन्द्रावती भवन,
नवा रायपुर अटल नगर,
रायपुर

श्री जॉन लकड़ा
अतिरिक्त मुख्य अभियंता,
छत्तीगसढ़ पर्यावरण संरक्षण
मंडल,
नवा रायपुर अटल नगर,
रायपुर

श्री मनीष कश्यप
क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय
कार्यालय, छत्तीगसढ़
पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर

श्री राजेन्द्र गुप्ता
अपर कलेक्टर,
जिला –
बलौदाबाजार–भाटापारा

कार्यालय कलेक्टर,जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा(छ.ग.)

क्रमांक / 815 / अ.कले / वा–2 / 2022 बलौदाबाजार, दिनांक 22 / 07 / 2022

प्रति,

सदस्य सचिव,
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
नवा रायपुर अटल नगर रायपुर (छ.ग.)

विषय :– ओरिजिनल एप्लिकेशन क्रमांक 238 / 2022 में माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रींसिपल बेंच नई दिल्ली द्वारा दिनांक 09.05.2022 को पारित आदेश के पालन के संबंध में।

संदर्भ :– आपका पत्र क्रमांक 2725 / मु. / तक. / छ.ग.प.सं.मं. / 2022 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 15.07.2022.

––00––

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के साथ माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रींसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा ओरिजिनल एप्लीकेशन क्रमांक 328 / 2022 में पारित आदेश के तहत गठित अंर्तविभागीय संयुक्त समिति की ओर से तैयार निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूप प्राप्त हुआ । उक्त प्रतिवेदन प्रारूप में अंतर्गविभागीय संयुक्त समिति के अभिमत की कंडिका–04 अनुसार **वर्तमान में दिये गये अनुमति के अनुसार वन क्षेत्र के 3.23985 हेक्टेयर में पूर्वक्षण का कार्य जिसके अंतर्गत 4 इंच डायमीटर का ड्रिलिंग का कार्य किया जाना है। जो कि मिनरल एक्सप्लोरेशन से संबंधित प्रारंभिक चरण का कार्य होने के दृष्टिगत पूर्व से निर्मित Extraction Path का उपयोग करते हुए तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख की अध्यक्षता में बनी समिति के अनुशंसा अनुसार वन अधिकारियों की देखरेख में कोई भी पेड़ कटाई एवं क्षेत्र में अन्य कोई क्षति नहीं होने तथा फोल्डेबल मशीन सरबोझ से ड्रिलिंग पाईंट तक वन अधिकारियों की देखरेख में बिना पेड़ों को क्षति पहुंचाये ले जाने एवं ड्रिलिंग का कार्य प्राप्त अनुमति के शर्तों के पालन सुनिश्चित करने पर 51 बोरहोल्स में ड्रिलिंग के साथ पूर्वेक्षण का कार्य किया जा सकता है,** लेख किया गया है।

मेरा अभिमत है कि ऐसा करने पर वहां की पारिस्थितिकी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा वन एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचेगी।

22/7/22

अपर कलेक्टर
बलौदाबाजार–भाटापारा

अपर कलेक्टर
बलौदाबाजार–भाटापारा(छ.ग.)

समिति द्वारा स्थल पर शिकायतकर्ता के साथ चर्चा

समिति द्वारा Traction Path पर पैदल भ्रमण

समिति द्वारा प्रस्तावित बोर होल बिन्दु का अवलोकन

समिति द्वारा प्रस्तावित बोर होल बिन्दु का अवलोकन

समिति द्वारा प्रस्तावित बोर होल बिन्दु का अवलोकन

समिति द्वारा प्रस्तावित बोर होल बिन्दु का अवलोकन